बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषय–राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सी०ई०पी०टी० (सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी) सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों के नियोजित विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण करने के लक्ष्य के तहत राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का विकास किया जा रहा है, जिससे राज्य में नये आर्थिक गतिविधि केन्द्रों का निर्माण होगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होगा। ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के विकास के लिए रणनीतिक निरीक्षण, नीतिगत सहायता, योजनाओं के कार्यान्वयन, नियामक एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा कार्यक्रम स्तरीय समन्वय एवं अभिसरण हेतु एक विशेषज्ञ संस्थागत सलाहकार की आवश्यकता है।

2. उक्त के आलोक में राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सी०ई०पी०टी० (सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी) सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, जिसे शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार द्वारा नगर निवेशन एवं डिजाइन में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–08.07.2026 को मद संख्या–09 के रूप में प्रदान की गयी है।

3. सी०ई०पी०टी० सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद को विभागान्तर्गत तकनीकी सहायता इकाई (टी०एस०यू०) के रूप में स्थापित करने के लिए अनुमानित लागत 10 करोड़ रूपये एवं अन्य अनुमान्य कर के प्रयोजन के विरूद्ध Axis Bank Ltd. को विभाग द्वारा चुने गये कम से

कम एक ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का 05 वर्षों के लिए बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाएगा।

4. उक्त प्रयोजन के फलस्वरूप विभागान्तर्गत तकनीकी सहायता इकाई (टी०एस०यू०) को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा।

आदेश *: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्राकशित किया जाय।*

ह०/–

(विनय कुमार)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–09/न०वि० (Township)–02/2026 .... न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक–......

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/–
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–09/न०वि० (Township)–02/2026 7026 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक–09/07/26

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना/अध्यक्ष, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी

नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–Prof. Barjor Mehta, President CEPT University, Kasturbhai Lalbhai Campus University Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक–08.07.2026 की बैठक में मद संख्या–09 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

5/7/26

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।